



NORTH CENTRAL RAILWAY EMPLOYEES SANGH



Registered, Recognised & Affiliated to N.F.I.R. & I.N.T.U.C.
Central Office : 464/B, Nawab Yusuf Road, Allahabad (U.P.)

No : 73 /NCRES/20

Date : 27.4.2020

श्रीमान प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी
नार्थ सेन्ट्रल रेलवे, प्रयागराज

विषय :- दिनांक 25/26.2.2020 के पी.एन.एम. बैठक में प्रारम्भिक भाषण के समय NCRES द्वारा महाप्रबंधक के समक्ष उठाये गये महत्वपूर्ण मुद्दों पर कार्यवाही किया जाना।

महोदय,

अवगत कराना है कि महाप्रबंधक स्तर पर NCRES के साथ सम्पन्न दिनांक 25/26 फरवरी 2020 के पी.एन.एम. बैठक में NCRES ने महाप्रबंधक के समक्ष प्रारम्भिक भाषण के समय बहुत सारे मुद्दे उठाये, जिनमें से निम्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर महाप्रबंधक महोदय ने त्वरित कार्यवाही करने के लिये निर्देश दिया था।

- 1 नार्थ सेन्ट्रल रेलवे के तीनों मण्डलों के आवासों की स्थिति बहुत खराब है। इस सम्बन्ध में NCRES ने आपसे कई बार अनुरोध किया कि आवासों के रख-रखाव के लिये जोन वर्क में अधिकारियों के आवास, क्लब, इंस्टीट्यूट और सर्विस बिल्डिंग के रख-रखाव के लिये अलग जोन बनाया जाय और ग्रुप "सी" तथा ग्रुप "डी" के आवासों के रख-रखाव के लिये अलग जोन बनाया जाय, आपने आश्वासन भी दिया था लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ। कृपया ग्रुप "सी" व "डी" के आवासों के रखरखाव के लिये अलग जोन निर्धारित किया जाय।
2. PNM मद सं० 25/2013 के सम्बन्ध में ALP से कपलिंग कटवाने के मुद्दे पर आपसे कई बार बात हुई और आपने कहा कि ALP से कपलिंग कटवाने का कार्य बन्द किया जायेगा, और आपके निर्देश पर 1 अक्टूबर 2019 से प्रयागराज में तीन गाड़ियां—12404, 12418, और 14164 छोड़कर बाकी गाड़ियों के कपलिंग ALP से कटवाना बंद कर दिया गया है।

अनुरोध है कि शेष बची गाड़ी सं. 12404, 12418 व 14164 के कपलिंग कटवाने का कार्य ALP से बन्द कराया जाय और NCRES के मद संख्या 25/2013 के सन्दर्भ में आदेश जारी किया जाय।

3. झांसी में अल्ट्रासाउण्ड कराने में कर्मचारियों का 800 रुपये खर्च हो रहा है लेकिन रिम्बर्समेंट 200 रुपये का ही होता है। NCRES ने डिवीजन में कई बार कहा कि MRI के लिये जिस एजेन्सी से एग्रीमेंट किया गया है उसी से अल्ट्रासाउण्ड के लिये भी एग्रीमेंट किया जाय लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। NCRES का अनुरोध है कि कर्मचारियों द्वारा अल्ट्रासाउण्ड के लिये जितना भुगतान किया जाता है, उतना कर्मचारियों को रिम्बर्समेंट किया जाय।

4. इरादतगंज रेलवे स्टेशन के एक तरफ रेलवे कालोनी है व दूसरी तरफ शहर है। रेलवे कालोनी की तरफ से प्लेटफार्म पर या शहर की ओर जाने के लिये कोई पुल नहीं है जिसके कारण रेलवे कालोनी के बच्चों को स्कूल जाने के लिये ट्रेन के नीचे से क्रॉस करना पड़ता है।

अतः NCRES की मांग है कि इरादतगंज में एक फुट ओवर ब्रिज बना दिया जाय जिससे रेल कर्मचारियों के बच्चे एवं उनके परिवार के सदस्यों और बुजुर्गों की समस्या खत्म हो सके।

5. आगरा मण्डल का रनिंग स्टाफ इटावा और बांदीकुई जाता है लेकिन वहां पर रनिंग स्टाफ के रुकने की व्यवस्था नहीं है जिसके कारण स्टाफ को रेस्ट नहीं मिल पाता।

NCRES की मांग है कि इटावा व बांदीकुई पहुँचने वाले रनिंग स्टाफ को देय सुविधा मुहैया कराने के लिये उचित आदेश किया जाय।

6. रेलवे बोर्ड द्वारा जारी RBE No. 157/2017 के अनुसार प्रत्येक वर्ष कर्मचारियों की सीनियरिटी लिस्ट जारी होनी थी लेकिन तीनो मण्डल में सीनियरिटी लिस्ट जारी नहीं की जा रही है। इसके अलावा दिसम्बर 2018 तक कार्यालयों में कार्य करने वाली महिलाओं के लिये लेडीज टायलट बनाने का कार्य करना था लेकिन प्रधान कार्यालय और मण्डल कार्यालय के अतिरिक्त किसी भी कार्यालय व रोड साइड स्टेशनों के कार्यालय में लेडीज Toilet बनाने का कार्य नहीं हुआ है।

NCRES की मांग है कि प्रत्येक वर्ष सीनियरिटी लिस्ट जारी किया जाय और लेडीज Toilet सभी कार्यालय में बनाये जाय।

7. सहायक लोको पायलट एवं वरि. सहायक लोको पायलट के पदों में 20:80 का अनुपात है एवं सभी सहायक लोको पायलट, Residency Period पूर्ण होने पर वरीयता के अनुसार वरि. सहायक लोको पायलट के पद पर पदोन्नति के पात्र हो जाते हैं लेकिन विभिन्न प्रशासनिक कारणों से पात्रता के उपरान्त भी पदोन्नति आदेश जारी होने में एक साल से दो साल तक विलम्ब हो जाता है परिणाम स्वरूप पात्रता रखते हुये भी कर्मचारी पदोन्नति लाभों से वंचित रहते हैं। यहां यह उल्लेखनीय है कि उक्त पर न तो कोई चयन प्रक्रिया होती है और न ही कोई अधिसूचना जारी की जाती है यह पूर्णरूप से वरीयता क्रम पर आधारित है।

सहायक लोको पायलट और वरि. सहायक लोको पायलट के कार्य एवं दायित्व एक समान है इसलिये NCRES की मांग है कि सहायक लोको पायलट को दो वर्ष की सेवा पूर्ण किये जाने की तिथि से ही वरि. सहायक लोको पायलट के पद पर पदोन्नति दी जाय।

8. रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या 2005/एच/23/6 दिनांक 29.10.2010 एवं 13.6.2018 एवं हेडक्वाटर स्तर पर NCRES के साथ PNM बैठक में लिये जा चुके निर्णय के बाद भी झांसी चिकित्सालय में भर्ती मरीजों और उनके परिजनों को मुफ्त भोजन उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। इस सम्बन्ध में NCRES ने वार्ता किया तो मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, झांसी ने बताया कि फण्ड्स की कमी के कारण मुफ्त भोजन उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है।

NCRES की मांग है कि फंड की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुये CMS/JHS को उचित निर्देश दिया जाय ताकि भर्ती मरीजों को मुफ्त भोजन मिल सके।

महिला प्रतिनिधि :-

9. वाणिज्य विभाग के टिकट बुकिंग कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों की 8 घंटे की कार्यवधि में लगातार पब्लिक को टिकट बांटने पड़ते हैं जिससे वहां पर कर्मचारियों को घर से लाये गये लंच/टिफिन को खाने का समय नहीं मिलता है तथा वह लंच घर वापस चला जाता है और बिना भोजन किये कर्मचारियों को कार्य करना पड़ता है जिससे कर्मचारियों में कार्य इफ्रीशियेन्सी एवं ऊर्जा घट जाती है। अतः अनुरोध है कि वाणिज्य विभाग के टिकट बुकिंग कार्यालय में कम से कम 15-20 मिनट का लंच ब्रेक देने के लिये उचित आदेश किया जाय।

NCRES का अनुरोध है कि उपरोक्त मुद्दों पर जल्द निर्णय लेकर उचित आदेश जारी करने की कृपा करे।

10. कर्मचारियों एवं उनको बच्चों के मनोरंजन एवं खेलकूद के लिए प्रयागराज में एक कोरल क्लब है जहाँ पूर्व में स्वीमिंग पूल, बिलियर्ड्स, बैडमिन्टन टेबिल टेनिस आदि तमाम सुविधायें मौजूद थी परन्तु आज वहाँ ये गतिविधियाँ नहीं हैं।

कोरल क्लब के चुनाव का कार्यकाल समाप्त होने पर वर्तमान में क्लब के सचिव का कार्य हित निरीक्षक देख रहे हैं और ADRM / प्रयागराज वहाँ के अध्यक्ष हैं। कोरल क्लब के अलावा सूबेदारगंज स्थित कर्मचारियों के क्लब "कलरव" के संचालन के लिये भी चुनाव नहीं हुआ, और "कलरव" के संचालन के लिये प्रधान कार्यालय, कार्मिक विभाग के COS "सचिव" के रूप में नामित किये गये हैं और अध्यक्ष SPO/गैजेटेड/HQ है। इसके अतिरिक्त दोनों मान्यता प्राप्त यूनियन के एक-एक प्रतिनिधि "कलरव" के कमेटी के सदस्य हैं।

NCRES की माँग है कि जब तक कोरल क्लब का अगला चुनाव नहीं होता कलरव क्लब की भाँति वहाँ भी मान्यता प्राप्त यूनियन के एक-एक प्रतिनिधि को नामित किया जाए जिसमें वहाँ का संचालन ठीक हो सके और कर्मचारियों के हित में वहाँ पर स्वीमिंग पूल, बिलियर्ड्स, बैडमिन्टन आदि सहित, रनिंग कर्मचारियों एवं अन्य के लिए योग्य कक्षाओं का आयोजन किया जा सके।

11. महोदय, रेलवे बोर्ड ने अपने पत्र दिनांक 05.03.19 के द्वारा S&T, Electrical (TRD) एवं मैकेनिकल विभाग के टेक्नीशियन एवं हेल्परों को “Protective Gear” जैसे सेफ्टी शूज, विन्टर जैकेट, Luminous Vest, Tri Color LED टार्च, Rechargeable टार्च आदि दिये जाने का आदेश किया गया लेकिन इन विभागों के JE/SSE को ये Protection Gear नहीं दिये गये हैं जबकि S&T, TRD मैकेनिकल विभागों आदि के सुपरवाइजर को किसी भी फेलियर अथवा कार्य साइट पर तुरन्त पहुँच कर कार्य कराना होता है।


अतः NCRES की माँग है कि इन विभागों के सुपरवाइजरों को भी ये सभी “Protective Gear” दिये जाए।

12. NCRES को अवगत करना है कि सन् 2018-2019 में माघ मेला के समय प्रयागराज में रेलवे आवासों में नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत नयी सीवर लाइन बिछाई गयी लेकिन कार्य को आधा-अधूरा छोड़ दिया गया है। कहीं पर सीवर तो बना दिया गया परन्तु घरों की लैट्रीन से उसको उससे जोड़ा नहीं गया। ट्रैफिक कालोनी के चौथे मार्ग के पास तो लगभग 25 घरों की नयी सीवर लाइन बना कर जोड़ दी गयी परन्तु उसे मेन लाइन से ही कनेक्ट नहीं किया गया जिससे बिना बरसात के लोगों के घरों में सीवर का पानी घुस रहा है और माघ मेला के समय नमामि गंगे/राज्य सरकार द्वारा छोड़े इस अधूरे कार्य को ईजी. विभाग जानबूझ कर नहीं पूरा कर रहा है।

NCRES की माँग है कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट/राज्य सरकार द्वारा छोड़े गये कार्य पूरा करने के लिये ईजी. विभाग को उचित निर्देश दिया जाय ताकि प्रयागराज के ट्रैफिक कालोनी के आवासों के सीवर लाइन को विछाई गई नई सीवर मेन लाइन से कनेक्ट करने का कार्य पूरा हो सके।

13. महोदय, आगरा मण्डल में ब्रांच लाइनों के ईदगाह-बांदीकुई, ईदगाह-बयाना तथा मथुरा-अलवर खण्ड में गाड़ियों का संचालन काफी बढ़ गया है परन्तु यहाँ अभी भी एक ही ब्लॉक सेक्शन में Close to Road traffic और Open to road traffic इंजीनियरिंग गेट विद्यमान है। इसी कारण गलतफहमी और गाड़ियों के बढ़ते दबाव के कारण कई घटनाएँ हो चुकी हैं और कई गेटमैन रिमूव भी हुये हैं। अतः गाड़ियों का संचालन, संरक्षा तथा सुरक्षा के तहत उक्त ब्रांच लाइनों के गेटों को Open to road traffic कर दिया जाय तो गाड़ियाँ भी सुरक्षित चलेगी और दुर्घटनाओं की संभावना भी खत्म होगी। अतः NCRES की माँग है कि आगरा मण्डल के ईदगाह-बांदीकुई, आगरा-बयाना व मथुरा-अलवर खण्ड के सभी इंजीनियरिंग गेटों को Open to road traffic किया जाय।

NCRES का अनुरोध है कि PNM बैठक के प्रारम्भिक भाषण में उठाये गये उपरोक्त मदों पर जल्द आदेश जारी करने की कृपा करे।


(आर. पी. सिंह)
महामंत्री